न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार
आई०ए०एस०

Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र सं0 108 / 2022 रा.रा.अ.

1. ग्राम पंचायत बडागांव वर्तमान ग्राम पंचायत ठिकरिया तहसील नांगल राजावतान जरिये सरपंच
2. सचिव, ग्राम पंचायत बडागांव वर्तमान ग्राम पंचायत ठिकरिया तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा

... प्रार्थी

बनाम

1. भू अवाप्ति अधिकारी उप जिला कलक्टर, दौसा जिला दौसा
2. तहसीलदार नांगल राजावतान
3. परियोजना निदेशक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई दौसा, 87,गंगा विहार कॉलोनी, होटल रावत के पीछे, दौसा

... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 जी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बाबत अवाप्तशुदा भूमि खसरा नंबर 1457, 1458, 1460 ग्राम गढ तहसील नांगल राजावतान की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 ए विस्तार हेतु अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा राशि प्रार्थीगण को दिलवाने के संबंध में।

उपस्थित– 1. श्री जगजीवन राम, अधिवक्ता प्रार्थीगणकी ओर से।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
3. श्री सत्यनारायण शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 3 की ओर से।

दिनांक 22.0.5.2024

निर्णय

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, दौसा द्वारा एन.एच.11 ए विस्तार दौसा कौथून खंड के अंतर्गत ग्राम ठीकरी गढ तहसील नांगल राजावतान के खसरा नंबर 1457, 1458 व 1460 में स्थित भूमि के पारित मुआवजा अवार्ड के भुगतान करने बाबत प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व अधीनस्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी दौसा से बिन्दुवार तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई।

3. अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि ग्राम गढ वर्तमान ग्राम पंचायत ठीकरिया में आराजी खसरा नंबर 1455, 1457, 1458, 1460 कुल किता 4 रकबा 3.28है. स्थित है। उक्त भूमि की वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदारी ग्राम पंचायत ठीकरिया के नाम से दर्ज रिकार्ड है। इससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि ग्राम पंचायत ठीकरिया की खातेदारी [illegible] है। उक्त भूमि में से दौसा–लालसोट–कौथून खण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 [illegible] र हेतु नांगल राजावतान की ग्राम पंचायत ठीकरिया की भूमि खसरा नंबर 1457, 1458 [illegible] भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी दोसा द्वारा भूमि अवाप्त की गई थी। [illegible] अवाप्त करने के पश्चात उक्त अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजे का निर्धारण कर मुआवजा राशि 1,21,92,613/–का निर्धारण किया गया था।अप्रार्थी सं0 3 द्वारा निर्णारित मुआवजा राशि का चैक भूमि अवाप्ति अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:34:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर दौसा

6-10-22

उपखंड अधिकारी दौसा के न्यायालय में जमा करा दिया। इस संबंध में परियोजना निदेशक, द्वारा पत्र दिनांक 14.3.2022 के द्वारा प्रार्थी नं0 1 को सूचित किया कि अवाप्तशुदा भूमि के संपूर्ण मुआवजा राशि सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी दौसा के यहॉ जमा करा दी है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी नं0 1 से निर्धारित मुआवजा राशि दिलाने हेतु अनेकों बार निवेदन किया किन्तु भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा मुआवजा राशि प्राथीगण को अदा नहीं की गई है तथा यह कहते हुए कि उक्त भूमि सरकारी भूमि होने के कारण मुआवजा राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती तथा मुआवजा राशि दिया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण को आज तक अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि अदा नहीं की गई है। राजस्व रिकार्ड ये यह स्पष्ट प्रमाणित है कि अवाप्तशुदा भूमि ग्राम पंचायत ठीकरिया की खातेदारी व कब्जे की भूमि है ऐसी स्थिति में कानूनन प्रार्थीगण मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी है। लेकिन भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी दौसा प्रार्थीगण को मुआवजा राशि अदा नहीं कर रहे है। ग्राम गढ पूव में बडागांव ग्राम पंचायत के अधीन था, परन्तु वर्तमान में नवीन ग्राम पंचायत ठीकरिया बना दी गई है तथा प्रार्थी सं0 1 ग्राम पंचायत ठीकरिया का सरपंच है व प्रार्थी सं0 2 सचिव है जा कि भूमि का मुआवजा प्राप्त करनें के अधिकारी है।अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी सं0 1 भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी दौसा को आदेश फरमाया जावे कि प्रार्थीगण को अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा राशि कर भुगतान दिलवाया जावे।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि ग्राम टीकरीगढ स्थित भूमि खसरा नंबर 1457, 1458, 1460 की मुआवजा राशि का निर्धारण कर दिनांक 15.9.2016 को राशि 1,21,92,613 रूपये का अवार्ड ग्राम पंचायत बडागॉव के नाम से जारी किया गया था लेकिन भारारापा द्वारा उक्त भूमि को सरकारी भूमि मानते हुए मुआवजा राशि भूमि अवाप्ति अधिकारी दौसा को उपलब्ध नहीं कराई गई। सरपंच ग्राम पंचायत ठीकरिया द्वारा सक्षम अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर उक्त खसरा नम्बरान की मुआवजा राशि की मांग करने पर भारारापा द्वारा पत्रांक 10742 दिनांक 28.10.2021 के द्वारा अवगत कराया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग के सुदृढीकरण एवं चौडाईकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग संरेखण में आ रही राजकीय भूमि का निःशुल्क आवटंन इस शर्त के साथ किया जावेगा की राज्य के विभिन्न भूमिगत परियोजनाओं के लिए जब भी आवश्यकता होगी। उपयोगिता गलियारो का अधिकार राज्य सरकार का पूर्ण सड़क मार्ग पर निःशुल्क रहेगा। अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि भारारापा द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है उक्त भूमि सरकारी भूमि होने के कारण मुआवजा राशि का भुगतान किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरवाया जावेग।

5. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 3 ने बहस [illegible] भूमि खसरा नम्बर–1457, 1458, 1460 किस्म सरकारी बारानी 2 वाके [illegible] बडागांव के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी, जो कि राज्य [illegible] राज–6/2001/ पार्ट/02 दिनांक 28.04.2016 को [illegible] राजस्थान सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजमार्ग [illegible] निशुल्क राजकीय भूमि आवंटन के संबंध में परिपत्र जारी किया गया। जिसके अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गो के सुदृढीकरण एवं चौडीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग के संरक्षण में आ रही राजकीय भूमि का निःशुल्क आवंटन इस शर्त के साथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:34:26 IST
Reason: SelfAttested

Devendr
जिला कलेक्टर, दौसा

6-10-22

किया जावेगा कि राज्य की विभिन्न भूमिगत परियोजनाओं के लिए जब भी आवश्यकता होगी, उपयोगिता गलियारे का अधिकार राज्य सरकार का पूर्ण सडक मार्ग पर निःशुल्क रहेगा। इस कारण प्रार्थीगण कोई मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा मुआवजे के संबंध में की गई समस्त कार्यवाही पूर्ण रूप से सही है। प्रार्थीगण स्वयं राज्य सरकार का अभिन्न अंग है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा वर्णित परिपत्र मद संख्या–06 के अनुसार प्रार्थी कोई मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 3 ने बहस जारी रखते हुए कथन किया कि भारत सरकार के सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय केंद्र सरकार नई दिल्ली ने व्यापक लोकहित को देखते हुये दिल्ली–बडोदरा एक्सप्रेस–वे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11ए का निर्माण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड–क के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ति के कृत्यों का पालन करने के लिये उपखण्ड अधिकारी दौसा को सक्षम प्राधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 । की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा क्रमांक सख्या–1851 (अ) दिनांक 10.07.2015 को जारी किया गया उक्त अधिसूचनाओ का प्रकाशन राजस्थान के दो प्रमुख समाचार पत्रों दैनिक भास्कर व राजस्थान पत्रिका में दिनांक 08.09.2015 को किया गया, के द्वारा भूमि का अर्जन किया गया। उक्त अधिसूचना के प्रकाशन में अवाप्तशुदा भूमि के खसरा नंबर, भूमि की किस्म, भूमि का प्रकार तथा अवाप्त की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल राजपत्र में प्रकाशित करवाया गया। उक्त अधिनियम 1956 की धारा 3 सी के अंतर्गत अधिनियम की धारा 3 ए के अंतर्गत नोटिफिकेशन के विरूद्ध उस भूमि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति धारा 3 ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अंदर अपनी आपत्तियों सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, सक्षम अधिकारी उक्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को अपने आदेश द्वारा स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। अप्रार्थी की ओर से निवेदन है कि दिल्ली–बडोदरा एक्सप्रेस–वे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11ए कार्य हेतु उत्तरदाता अप्रार्थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक परियोजना शुरू की है जिसमें दौसा के ग्रामों की अवाप्त भूमि का प्रतिकर का निर्धारण किया गया है जिसके लिए उत्तरदाता अप्रार्थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार के राजपत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11ए के हेतु अधिसूचना दिनांक 10.07.2015 के अन्तर्गत धारा ३ए की उपधारा (1) के अन्तर्गत दौसा जिले की खातेदारी एवं सरकारी भूमि की अवाप्ति हेतु अधिसूचना का प्रकाशन भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण भाग द्वितीय खण्ड 3 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) जिसे आगे अधिनियम 1956 से सम्बोधित किया गया है की धारा 3 (क) की उप धारा (1) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशन किया गया है। जिसका राष्ट्रीय राजमार्ग अधि. 1956 का भारत के राजपत्र में प्रकाशन किया गया है, एवं धारा 3ए की अभिसूचना का प्रकाशन 2 समाचार पत्रों दिनांक 08.09.2015 को "राजस्थान पत्रिका" एवं "दैनिक भास्कर" में विधिवत प्रकाशित किया जाकर आपत्तिया आमंत्रित की गई। उक्त अधिसूचना के समाचार पत्रों में प्रकाशन के बाद निर्धारित समय अवधि 21 दिवस के भीतर 20 [illegible] आपत्तियां काश्तकार/पक्षकारान् हितबद्ध खातेदार से प्राप्त हुए थे उन [illegible] पर विचार कर आक्षेपो को रिकॉर्ड पर लिया जाकर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई [illegible] उक्त आपत्तियों का राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए की उपधारा–III के अन्तर्गत निर्णित कर तदोपरान्त केन्द्रीय सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने उक्त अधिनियम की धारा 3डी की उपधारा (3) की अधिसूचना जारी की है जिसका प्रकाशन भारत सरकार के राजपत्र भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (II) में उक्त अधिसूचना 3 डी का प्रकाशन भी दो समाचार पत्रों में

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:34:26 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 07.04.2016 को "दैनिक भास्कर" एवं "राजस्थान पत्रिका" में प्रकाशित करवाया गया तथा अवाप्तधीन भूमि के हितधारको की दावा/आपत्तियां 21 दिन के अन्तर्गत आमन्त्रित की गई। उनका विधि के प्रावधानो के अनुसार निस्तारण कर दिया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम 1956 की धारा 3 सी के अंतर्गत प्राप्त आपत्तियों पर विचार कर उन्हे निर्णित करने के पश्चात अपनी धारा 3 डी का अपना प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा, जिसके पश्चात केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसका प्रकाशन दो समाचार पत्रों समाचार जगत व दैनिक समाचार में दिनांक 07.04.2016 को किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी में भूमि अधिग्रहण की प्रकिया तथा अधिग्रहण की घोषणा के संबंध में प्रावधान दिये गये है। धारा 3डी (2) के अनुसार भूमि अवाप्ति की अधिसूचना अंतर्गत धारा 3 डी (1) जारी होने के पश्चात अवाप्त भूमि निर्बाध रूप से केन्द्र सरकार में निहित हो जाती है, जिसमें खातेदार अथवा हितधारी को कोई भी हक व हकूक शेष नही रह जाता है, जिसमें प्रार्थी की भूमि भी सम्मिलित है। धारा 3डी (4) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई घोषणा को किसी न्यायालय या किसी अन्य अधिकारी के समक्ष चुनौती नही दी जा सकती है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 एफ के अनुसार धारा 3 डी के अंतर्गत केंद्रीय सरकार में निहित भूमि पर केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति उक्त भूमि पर निर्माण, रख रखाव अथवा उससे संबंधित कोई भी कार्य करने हेतु प्रवेश कर सकता है। अधिनियम की धारा ३ए की अधिसूचना के दिनांक 10.07.2015 को बाजार मूल्य (मार्केट वेल्यू) के संबंध में तहसील क्षेत्र नांगल राजावतान जिला दौसा की अवाप्ताधीन भूमि के संबंध में जिला पंजीयक दौसा द्वारा डी एल सी इस कार्यालय को प्रेषित की है, के आधार पर मुआवजा निर्धारण किया गया। अधिकारिक रूप से डी एल सी दर ही बाजार मूल्य मानी जाती है। निर्धारित मूल्य में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 (G) (2) के प्रावधानानुसार भूमि की देय कीमत पर 12 प्रतिशत मुआवजे में अंकन किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी (3) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि सक्षम प्राधिकारी मुआवजा निर्धारण करने से पूर्व संबंधित खातेदार अथवा हितधारी व्यक्तियों को मुआवजा के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु एक सार्वजनिक नोटिस दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा। अधिनियम के उक्त प्रावधान के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक नोटिस का प्रकाशन कर संबंधित खातेदारी/हितधारी व्यक्तियों से भूमि, इत्यादि के मुआवजे के संबंध में नोटिस प्रकाशन से 21 दिवस के अंदर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। प्रस्तुत प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रार्थी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजे के संबंध में जो आपत्ति की गई उसका निस्तारण करने के पश्चात मुआवजे के संबंध में अवार्ड दिनांक को पारित कर दिया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपना अवार्ड को पारित करने से पूर्व प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि की कीमत का निर्धारण करने के लिये उप पंजीयक जिला दौसा से अधिसूचना अंतर्गत धारा 3 ए की दिनांक 10.07.2015 की बाजार दर (डी.एल.सी. की वैल्यू) मंगवाई गई थी, तदुपरान्त पंजीयक अधिकारी जिला दौसा द्वारा धारा 3 ए की दिनांक 10.07.2015 की बाजार दर (डी. एल.सी. की वैल्यू) सक्षम प्राधिकारी [illegible] द्वारा भूमि की जो दर राष्ट्रीय राजमार्ग/स्टेट हाईवे/अन्य मुख्य सडक [illegible] दूरी तक के संदर्भ में भूमि की राजस्व रिकार्ड में दर्ज किस्म [illegible] गई थी, उसे ही सक्षम प्राधिकारी ने अवाप्तशुदा भूमि की [illegible] निर्णय लिया जाकर भूमि का मुआवजा निर्धारित किया गया है जो कि विधि के प्रावधानों [illegible] अनुसार सही व उचित है। उप पंजीयक द्वारा जिस ग्राम की जो दर दी गई थी उसी के अनुसार उस गांव की भूमि की दर निर्धारित की गई है। डी.एल.सी. दर विशेषज्ञों की कमेटी द्वारा समय-समय पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:34:26 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्धारित की जाती है व दर निर्धारित करने से पूर्व विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येक भूमि की उपयोगिता, किस्म, उसकी भौगोलिक स्थिति, बाजार भाव, शहर व सडक से दूरी इत्यादि का मूल्यांकन राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के अनुसरण में किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में उप पंजीयक जिला दौसा द्वारा जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित किये गये बाजार मूल्य (डी.एल.सी.) को सक्षम प्राधिकारी को भेजा, जिसे ही सक्षम प्राधिकारी ने मुआवजे के निर्धारण के लिये प्रयुक्त किया गया है। यहा यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित की गई दरें ही वास्तविक बाजार मूल्य होती है। अपवाद के रूप में कभी–कभी कोई भूखण्ड किसी व्यक्ति विशेष के लिये अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है और वह व्यक्ति विशेष उस भूमि का डी.एल.सी. से अधिक मूल्य चुकाने हेतु सहमत भी हो सकता है, परंतु वह मूल्य वास्तविक मूल्य नही होता है। जिला स्तरीय समिति में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधिगण एवं जन प्रतिनिधि भाग लेते है एवं संपूर्ण समिति की सहमति के पश्चात ही भूमि का बाजार मूल्य अर्थात डी.एल. सी. दर निर्धारित की जाती है। अधिनियम 2013 के बाद में तो डी.एल.सी. रेट का भी कई गुना मुआवजा हितबद्ध व्यक्तियों को दिया जा रहा है जो कि हितधारियों के हितों की रक्षा करता है। प्रार्थी को उसके भूखण्ड के बाजार मूल्य से कही अधिक मुआवजा दिया गया है, जो कि नियमानुसार है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजा राशि की गणना उप पंजीयक जिला दौसा से प्राप्त निर्धारित डीएलसी के आधार पर की गई व इसके अतिरिक्त भी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी (2) व (7) में दिये गये निर्देशों के अनुसार, भूमि अर्जन, पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 26 से 30 की पालना करके एवं भूमि अर्जन, पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (कठिनाईयों को दूर करना) आदेश 2015 के तहत 100 प्रतिशत वृद्धि कर मुआवजे का निर्धारण किया गया है। जो पूर्णतः सही एवं उचित है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजा राशि में धारा 3 ए के अन्तर्गत जारी की गई भूमि अवाप्ति की अधिसूचना के प्रकाशन की दिनांक 10.07.2015 से भुगतान की तिथी तक 12 प्रतिशत ब्याज भी दिया गया है। भारत सरकार के परिपत्र संख्या 8360/सी.सी/5166/दिनांक 08/08/2016 के अनुसार **RFCTLARR Act** 2013 की धारा 26 (2) के अनुसार गुणक 2 या राज्य सरकार के द्वारा घोषित गुणक में से न्यूनतम होगा। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प–1 (3) राज0–6/2011/पार्ट/26 जयपुर दिनांक 14/06/2016 के अनुसार शहरी क्षेत्र की दूरी 0 से 10 किमी. पर स्थित ग्रामों के लिए गुणक 1.25 दर्शाया गया है एवं 10 से 20 किमी. पर स्थित ग्रामों के लिए गुणक 1.50 व 20 से 30 किमी. गुण दूरी 1.75 तथा 30 से अधिक का गुणक 2.00 किया गया है। उक्त सूचना पकाई दौसा को उक्त दूरी संबंधित सूचना प्रस्तुत की गई, उसमें संबंधित नम्बरान सम्मिलित है। संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.1 (3) राज.6/2011/ पार्ट/26 जयपुर दिनांक 10.07.2015 इस प्रकरण पर लागू होती है, कारक निर्धारण हेतु ग्रामों की दूरी शहरी सीमा क्षेत्र के अंतिम बिन्दु से **Radial** दूरी के अनुसार किया गया है। उक्त ग्राम [illegible] की [illegible] किलोमीटर से अधिक व 20 किलोमीटर से तक में गुणक से बाजार मूल्य [illegible] 5 से होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 एच [illegible] द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अवार्ड की राशि को जमा [illegible] है, जिसकी पालना करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा अवार्ड की राशि सक्षम प्राधिकारी [illegible] जमा करा दी गयी है। धारा 3 एच (2) के अनुसार मुआवजे की राशि केन्द्र सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जमा करा देने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुआवजे के हकदार व्यक्तियों को तुरन्त प्रभाव से

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:34:26 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलक्टर, दौसा

भुगतान किये जाने का प्रावधान है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 ए एक्सप्रेस हाईवे अवाप्तशुदा भूमि में स्थित संरचनाओं/निर्माण की मुआवजा राशि के निर्धारण बाबत पी. डब्लू.डी. द्वारा उक्त अवाप्त भूमियों एवं निर्माण आदि का सर्वे कर मूल्यांकन करवाकर निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत कार्य करने का आदेश दिया गया, साथ ही संबंधित तहसीलदार को उनके पटवारी एवं गिरदावरी सहित सर्वे एवं मूल्यांकन कार्य में सहयोग एवं निगरानी हेतु निर्देशित किया गया। इस सम्बन्ध में पी.डब्ल्यू. डी. की बी.एस.आर. (बेसिक शिड्यूल आफ रेट) के आधार पर स्वतन्त्र तकनीकी मूल्यांकनकर्ता द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सम्पुष्ट (वेट) किया गया। उक्त निर्माण आदि संरचना का अवार्ड सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष वर्तमान में विचाराधीन है। विधि के प्रावधानो के अनुसार यदि मुआवजे का अवार्ड जारी होने के पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सम्पूर्ण मुआवजे की राशि को जमा करा दिया जाता है, तो भा. रा.रा.प्रा. हितबद्ध पक्षकारो को देरी से भुगतान होने की स्थिति में किसी भी प्रकार से ब्याज राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी नही है। हितधारी का दायित्व है कि वह सक्षम प्राधिकारी से मुआवजे की राशि को विधिक प्रक्रिया का पालन कर प्राप्त कर लेवें, यदि किसी हितधारी द्वारा किसी भी कारण से मुआवजे की राशि को प्राप्त नही किया जाता है तो वह हितधारी मुआवजे के अवार्ड में दी गई राशि पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी नही है। रा.रा. अधिनियम 1956 की धारा 3 एच (4) के अनुसार यदि मुआवजे के विभाजन से संबंधित पक्षकारो के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सक्षम प्राधिकारी आरम्भिक क्षेत्राधिकार वाले प्रधान सिविल न्यायालय को विवाद के निपटारे के लिए निर्देशित कर सकता है। विधि के प्रावधानों के अंतर्गत मुआवजे की दर कृषि भूमि की दर के हिसाब से ही दी गई है जो कि पूर्णत सही व उचित है। अवाप्तशुदा भूमि की जो किस्म एवं खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी उसी के अनुसार मुआवजा निर्धारित किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि इसी प्रकरण की तरह अन्य समान प्रकरण विभिन्न अन्य न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किये थे जिसमें कि सभी न्यायालयों द्वारा निर्णय पारित कर विपक्षी/अप्रार्थी द्वारा तय किये गये मुआवजे तथा मुआवजे के निर्धारण जो कि उपरोक्तानुसार किया गया था को सही मानते हुये उक्त प्रकरणों को निरस्त कर दिया गया तथा यह निर्णय किया कि विपक्षी/अप्रार्थी द्वारा जो भूमि का मुआवजा डी.एल.सी. दरों के आधार पर निर्धारित किया गया तथा अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित स्ट्रक्चर का मुआवजा स्वतंत्र कन्सलटैन्ट से प्राप्त सर्वे एवं जांच रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक नाप ली जाकर राजस्थान सरकार की प्रभावी बेसिक शिड्युल आफ रेट (**BSR**) के अनुसार मूल्यांकन कराया गया जो कि पूर्णतया सही एवं उचित है तथा उक्त डी.एल.सी. दरों के आधार पर भूमि के मुआवजा निर्धारण के आधार को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी सही माना गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 3 ने बहस के दौरान राजस्व(ग्रुप–6) विभाग राज0 सरकार के परिपत्र दिनांक 25.4.2016 की प्रति प्रस्तुत कर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

6. उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से [illegible] भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी दौसा द्वारा ग्राम ठीकरीगढ तहसील [illegible]लावतान के खसरा नंबर 1457, 1458 व 1460 कुल किता 3 रकबा 0.6205 [illegible] राजमार्ग सं0 11 ए विस्तार हेतु भूमि अवाप्त की गई थी, जिसमें कुल [illegible]/–राशि का अवार्ड जारी किया गया था। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी [illegible] द्वारा रिपोर्ट दिनांक 07.02. 2023 में अंकित किया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अवाप्तशुदा भूमि को सरकारी भूमि मानते हुए मुआवजा राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:34:26 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

1. इस संबंध में **Manual of Guideline on Land Acquisition for National Highways under The National Highways Act 1956** की धारा 3.5.5**(iii)** इस प्रकार है:–

(iii) Payment of compensation for the Government Structure on Government land falling within the project RoW:

(a) Government Land include land Vedting in the Central/State Government, but does not including the land vesting in the Central/State owned undertakings and institutions, Local Bodies like Municipal Corporations, Municipalities, Gram Panchayats, etc. Public Sector Undertakings and Autonomous bodies of the Central/State Government

(b) Government structure include structures owned by the Land include Central/State Government but does not include the structure standing on the land vesting in the Central/State owned undertakings and institutions, Local Bodies like Municipal Corporations, Municipalities, Gram Panchayats, etc. Public Sector Undertakings and Autonomous bodies of the Central/State Government.

(c) The land vesting in the Central/State Governmentis transferred to Central Government/MoRTH free of cost. In cases where ownership of acquired land is vested with the Urban Local Bodies/ Gram **Panchayats/PSUs/Autonomous bodies, compensation for the land is payable as per law.**

2. अतः उक्त पॉलिसी में यह अंकित किया गया है कि यदि भूमि नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत//**PSUs/Autonomous bodies** में निहित है तो उसकी मुआवजा राशि को प्रचलित नीति के तहत किया जावेगा।

3. प्रचलित नीति के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ध्यान में लाई गई राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, राज0 जयपुर का परिपत्र कमांक 102 दिनांक 28.4.2016 का बिन्दु सं0 1 इस प्रकार है:–

1." भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों के सुदृढीकरण एवं चौडाईकरण **(Widening)** हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग के संरेखण **(Allignment)** में आ रही राजकीय भूमि का निःशुल्क आवंटन इस शर्त के साथ किया जावेगा कि राज्य की विभिन्न भूमिगत परियोजनाओं के लिए जब भी आवश्यकता होगी उपयोगति गलियारे **(utility corridor)** का अधिकार राज्य सरकार का पूर्ण सडक मार्ग पर निःशुल्क रहेगा।

4. हमारे समक्ष यह तथ्य है कि खसरा नंबर 14[illegible], 145[illegible], 1460 खाता सं0 127 भूमि ग्राम पंचायत टीकरीगढ के नाम जमाबंदी [illegible] " ग्राम पंचायत बडागांव हिस्सा पू[illegible] के लिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:34:26 IST
Reason: SelfAttested

5. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिवक्ता [illegible]रा कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा गणना पर्चा खतौनी में उक्त भूमि का अंकन सरकारी होना अंकित किया है, किन्तु यह गणना पर्चा भूमि के सरकारी होने या न होने का कोई साक्ष्य नहीं है एवं भूमि अवाप्ति

Devendr
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिकारी द्वारा जारी किया गया दस्तावेज है एवं ना ही लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर द्वारा दस्तावेज एवं इस दस्तावेजों में उक्त भूमि को सरकारी दिखा कर जो गणना की गई है उसी को प्रार्थी द्वारा न्यायालय में चुनौती दी गई है।

6. यहाँ यह अंकन किया जाना आवश्यक है कि समस्त राजकीय भूमि का अंकन खाता सं. 1 में किया जाता है एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रयोजनार्थ उनका निःशुल्क/सशुल्क आवंटन विभिन्न राजकीय संस्था/उपकम जैसे कि विकास प्राधिकरण/नगर निगम/स्व वित्त पोषित संस्था/ग्राम पंचायत आदि को भूमि विकास/उपयोग हेतु जैसे आबादी विस्तार इत्यादि हेतु दिया जाता है। इसके पृथक से अलग खाता संख्या बनाये जाते है। जहाँ तक राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, राज0 जयपुर का परिपत्र कमांक 102 दिनांक 28.4.2016 का बिन्दु सं0 1 की भूमि को राजकीय भूमि के तहत निःशुल्क आवंटन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को किये जाने के प्रावधान है। अतः परिपत्र को किसी स्व वित्त पोषित संस्था जैसे विकास प्राधिकरण, नगर निगम या ग्राम पंचायत पर बिना राजकीय या प्रशासनिक विभाग के अनुमोदन या आदेश बिना निःशुल्क आवंटन की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता है।यदि उक्त खसरों को निःशुल्क आवंटन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को किया जाना है तो इस संबध में सक्षम स्तर से पृथक से आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाने के उपरांत किया जाना संभव होगा। हस्तगत प्रकरण में ऐसा नहीं है एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी दौसा को इसं संबंध में निःशुल्क अवार्ड जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। हम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य समझते है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी दौसा को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि ग्राम पंचायत ठिकरिया की अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा राशि 1,21,92,613/–रू. का भुगतान किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

Web Copy - Not Official

Devendra
(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 22 मई, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस के भीतर की जा सकेगी।

Devendra
(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:34:26 IST
Reason: SelfAttested